

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 872]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2018/अग्रहायण 16, 1940

No. 872]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2018/AGRAHAYANA 16, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1182(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

- 1 (1) इन स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
- 2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में, पैरा 68 ज के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"68 ज ज. एक मास से अनिधिक की अविध के लिए निरंतर बेरोजगारी के मामले में सदस्य को अप्रतिदेय अग्रिम – आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, उससे अधीनस्थ कोई अधिकारी, किसी कारखाने या स्थापन में, जिसको अधिनियम लागू होता है, किसी सदस्य के कर्मचारी न रहने पर, निधि में उसकी जमा रकम का पचहत्तर प्रतिशत तक अप्रतिदेय अग्रिम अनुज्ञात कर सकेगा, यदि वह उस तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख से, जिसको वह ऐसे अप्रतिदेय अग्रिम के लिए आवेदन करता है, निरंतर एक मास की अविध तक किसी कारखाने या अन्य स्थापन में नियोजित नहीँ किया गया है।"।

[फा. सं. एस-35012/8/2018-एसएस-II]

आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल स्कीम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक का.नि.आ. 1509, तारीख 2 सितंबर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन संख्यांक सा.का.नि. 436 (अ) तारीख 4 मई, 2017 द्वारा किया गया।

7162 GI/2018 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2018

G.S.R. 1182(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:-

- 1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2018.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, after paragraph 68H, the following shall be inserted, namely:-

"68HH. Non-refundable advance to a member in case of continuous un-employment for a period of not less than one month. The Commissioner or, where so authorised by the Commissioner, any other officer subordinate to him, may permit a member, on ceasing to be an employee in any factory or establishment to which the Act applies, a non-refundable advance upto seventy-five percent of the amount standing to his credit in the Fund, if he has not been employed in any factory or other establishment for a continuous period of not less than one month immediately preceding the date on which he makes an application for such non-refundable advance."

[F. No. S-35012/8/2018-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.R.O. 1509, dated the 2^{nd} September, 1952 and was last amended *vide* number G.S.R. 436(E) dated the 4^{th} May, 2017.